

No. SML-SR-(57)/2021-709

dated: 19-10-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

(Revised FRA Certificate in supersession of previous certificate issued vide No. SML-SR(57)/2019-63 dated 15-01-2020).

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 05-47-94 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer, Jalog Sub-Division, Jalog for construction of link road from Drawl to Jaishi (proposed for diversion of forest land) in Shimla District Falls within jurisdiction of Mouja Jaishi, Grauo and Drawal, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 05-47-94 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-III.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.


(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla Shimla,
Shimla

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Amit Kashyap IAS, the then Deputy Commissioner, Shimla on 10-12-2019 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Drawal, Karyali, Grauo, Sal, Jaishi claiming rights in village forest area(s) **05-47-94 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Shimla (Rural) were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

As informed by SDO (Civil), Shimla (Rural) no application was received from Gram Sabha Drawal, Karyali, Grauo, Sal, Jaishi claiming right in **05-47-94 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,**

Shimla,
District Magistrate
Shimla District
Shimla

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 10.12.2019 at 11:30AM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI AMIT KASHYAP, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA, IN HIS OFFICE CHAMBER.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 10-12-2019 at 11:30 AM under the Chairmanship of Shri Amit Kashyap, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The following were present:-

- | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Smt. Prabha Rajeev | Addl. District Magistrate (L&O) |
| 2. | Sh. Sushil Rana | DFO, Shimla (Rural) |
| 3. | Sh. Sanjeev Sood | DFO, Shimla (Urban) |
| 4. | Sh. Ashok Kr Negi | DFO, Theog |
| 5. | Sh. Arvind Kumar | DFO, Rampur |
| 6. | Sh. C.B. Tashildar | DFO, Rohru |
| 7. | Sh. Keshav Ram Sharma | B.O.Madaog Chopal |
| 8. | Smt. Neelam Saraik | Nominated Member |
| 9. | Smt. Anita Kimta | Nominated Member |
| 10. | Sh. D. R. Hasta | Nominated Member |

At the outset the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee and thereafter, the proceedings were started. The ADM (L&O) apprised the committee that following 21 cases have been received from the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees under the FCA, 1980.

1. C/o Multipurpose Indoor Stadium Mohal Pappad, Turbani, ISBT Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
2. C/o 66KV line from 66/22KV S/Station Samoli to 66/22KV S/Station Hatkoti, Tehsil Rohru, District Shimla.
3. C/o Training Centre, Prisons & Correction Services, Mohal Sankat Mochan, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
4. C/o link road from Swankyar to Rattanpur, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
5. C/o road from Mashobra to Kanda, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
6. C/o road from Bharari to Padhaya Mata Mandir, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
7. C/o link road from Drawal to Jaishi, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
8. C/o link ambulance/jeepable road Khaniri-Sharvag to village HKal, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
9. C/o link ambulance/jeepable road form Himri to Naltu Reog Bagri, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
10. C/o link ambulance/jeepable road from Banuna Gagal to village Bagri, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
11. C/o link ambulance/jeepable road Jalog Gadheri to GMS Gadahu,

14. C/o Sunni Dam HEP, Mauja Ogli, Talah, Kothi, Jaishi, Bharara, Magli, Pandoa, Bathora and Gahrena, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
15. C/o Dam on Giri River at Sainj for giving drinking water to Shimla town, Tehsil Theog, District Shimla.
16. C/o Helipad Shawala, Tehsil Nerwa, District Shimla.
17. C/o Govt. Degree College Chopal, Tehsil Chopal, District Shimla.
18. C/o Wool Store for wool procurement at Mohal Tikkari, Tehsil Chirgaon, District Shimla.
19. C/o link road from Batuna to Batheda, Tehsil Rampur, District Shimla.
20. C/o Mining site by M/S Bushahr Loghu Udyog Prop Smt. Kanegtu Devi, Tehsil Rampur, District Shimla.


Thereafter, each case was placed before the committee and after detailed discussion, 6 cases from Sr. No. 1 to 2 and 16 to 19 were found complete in all respects and approved to be processed under FCA. The cases at Sr. No. 3 to 14 were approved with the condition that left out signatures with stamps of Chairman/Secretary of Village Forest Rights Committee and Pradhan/Secretary of Gram Panchayat concerned will be obtained on Annexure-I and II respectively.

In the case at Sr. No. 15, the Committee decided that a detailed report from SDO(C) Theog will be sought related to the proposal and the case will be submitted before committee in the next meeting for consideration.

Regarding case at Sr. No. 20, it was observed that from the perusal of proposal it is not clear if the mining site has been auctioned or not by Industries Department. Therefore, the case be referred to Director, Industries and will be put up before the Committee only after the same is recommended by the Director, Industries.

Thereafter, the appeal filed by Sh. Mohar Singh S/o Sh. Chanku Ram R/O Village DPF Gouncha, Tehsil Nerwa, District Shimla was placed before the Committee. After detailed discussion and perusal of relevant record, his claim under Section 3(1) of FRA was rejected.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.


 Deputy Commissioner-cum-Chairman,
 District Level Forest Rights Committee,
 Shimla, District Shimla, H.P.

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District
Shimla H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub- Divisional Committee of Shimla Rural Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Neeraj Gupta, SDO (Civil) Shimla (Rural) on dated 26.09.2019 at Shimla (Place) in which the applicants submitted by application Department were examined by the President Forest Right Committee, Mouja **Jaishi, Grauo, Drawal** Naib Tehsil Shimla (Rural) District Shimla. As discussions and recommended the same is to be forwarded District Level Committee for approval.

After the scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District Level admitted.

<u>Sr. No. of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of forest Right</u>
1. No claim from any body has been received	CPI	05.50 Hectar

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected

<u>Sr. No. of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of forest Right</u>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

OR

As intimated by Mouja Drawal Gram Sabha an application was received claiming approximately 05 Hectar forest area.

Place : Shimla

Dated :

SDO (Civil) Cum-Chairman/Chairperson

Attn
Additional District Officer
Shimla (R) District Shimla (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा ग्राम फत्ताघत करमाली
विकास स्वपद बरकतपुर जिला (वि.सं.)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 13-07-2019

गणपूर्ति 138/590

प्रस्ताव मर्यादा

विषय लोक विभागीय विभाग/ग्राम सभा को प्रस्तावित सड़क ड्रॉल की डीसी के निर्माण हेतु D-15 ड्रॉल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

हेक्टियर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ग्राम फत्ताघत करमाली की बैठक आज दिनांक 13-07-2019 को 2:20 PM बजे स्थान करमाली की गई जिसमें P.W.D विभाग/ग्राम सभा को प्रस्तावित सड़क ड्रॉल-डीसी के निर्माण हेतु D-15 ड्रॉल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-52-24 हेक्टियर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा

हेक्टियर की सहमति से जारी है।

ललित Ramesh
ग्राम अधिकार अधिकारी
ग्राम सभा
बरकतपुर

श्री. राजेश कुमार
वन अधिकार अधिकारी
राजेश कुमार
तह. स.
कि.सं. 13-07-2019



ग्राम सभा फत्ताघत करमाली
विकास स्वपद बरकतपुर
जिला

Additional District Magistrate
Shimla, Distt Shimla-17100

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा गांव गांव
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 3
ग्राम सभा वन अधिकार समिति गांव

दिनांक 11-1-19

की बैठक आज दिनांक 11-1-2019 को 11.45 Am

बजे स्थान गांव गांव में श्री/श्रीमती

की अध्यक्षता में की गई

जिसमें 8/10

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-19 गांव जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें PWD विभाग द्वारा प्रस्तावित

सड़क निर्माण ड्रॉल से जैसी के निर्माण के लिए 03-27-99 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग

की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा मन्मलिवित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	प्रतिलिपी खलसा दे		
2			

नदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं० पात्र गांव वासी का नाम

1	
2	

नदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-19 गांव जंगल/वन क्षेत्र

को वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

(Signature)

(Signature)

अधिकृत/सहायक
ग्राम सभा

(Signature)

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla 171005

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा श्रीमती पंचायत की वती
विधान संख्या गुडगाव जिला शिमला (907)

प्रतिनिधी प्रस्ताव

दिनांक: 02/02/19

प्रस्ताव संख्या: 11

संख्या: 138/599

विषय: श्रीमती पंचायत विभाग संख्या के प्रस्ताव संख्या 11 के तैयारी
के निर्माण हेतु गुडगाव जिला शिमला जमान वन क्षेत्र में अनुसूचित
शेक्टर्वा वन भूमि के उपयोग के लिए सर्वमति प्रदान करने हेतु

ग्राम सभा श्रीमती पंचायत का कानूनी के बैठक का दिनांक 02-02-19 को 02:00 PM
वजे स्थान श्रीमती पंचायत के सभे स्थान श्रीमती पंचायत विभाग संख्या के प्रस्ताव संख्या 11 के तैयारी
के निर्माण हेतु गुडगाव जमान वन क्षेत्र में अनुसूचित 03-27-99 शेक्टर्वा वन भूमि के उपयोग की
संज्ञा के लिए सर्वमति प्रदान करने का प्रस्ताव के तैयारी

सभी प्रासंगिकों में सर्वमति वन भूमि में अनुसूचित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्य का पूरा तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह
निर्णय किया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार वन भूमि का प्रदान का सम्मति है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की ग्राम सभा की इस बैठक में
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों
के प्राप्ति के अभाव में ग्राम सभा के सर्व सम्मति से यह प्राप्ति किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन
अधिकारों के प्राप्ति के निश्चय सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है वन भूमि में तथा अनुसूचित 03-27-99 शेक्टर्वा
वा भूमि के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा श्रीमती पंचायत की सर्वमति से जानी है।

Chauhan

Harjeet

ग्राम अधिकारी कार्यालय
आज श्रीमती पंचायत
एक प्रमुख वन निवासी
विभागाध्यक्ष प्रमुख

ग्राम सभा श्रीमती पंचायत
विभाग संख्या गुडगाव जिला शिमला
ग्राम सभा

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

निर्यातित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा गाँव साल (वन अधिका) समिति साल
पतिलिपी प्रस्ताव

7 दिनांक 7.2.2019
ग्राम सभा वन अधिका समिति साल की बैठक आज दिनांक 7.2.2019 को 11.45 AM
बजे स्थान साल में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई
जिसमें 8/18 गाँव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-16 के तहत जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें विभाग द्वारा

के निर्माण के लिए 00-24-19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग

की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँव समितियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं०	पात्र गाँव वासी का नाम	जगत का नाम	वन अधिकार का ख्योत
1	पतिलिपी	प्रस्तावित है	
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे स्वण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं०	पात्र गाँव वासी का नाम
1	/
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति में प्राप्त सूचना के अनुसार U-16 के तहत जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें विभाग द्वारा
के निर्माण के लिए 00-24-19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँव समितियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

सही पाया गया

Additional District Magistrate
Shimla, Dist. Shimla-171001

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2004
 वन अधिकार (नियंत्रण) अधिनियम 2004
 राम सभा
 पतिविवी पन्ना

Page No. 1

क्रम संख्या 3

वन अधिकार समिति राम सभा ग्राम ग्राम को बताना आज दिनांक 11-1-19 को 11 AM तक
 ग्राम ग्राम में श्री. श्री. श्री. को अवधान में ही यह प्रमाण 2/10

राज्य की अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2004 के अन्तर्गत U-19 ग्राम जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें लोकनिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क द्वारा से है
 के निर्माण के लिए 03-27-99 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजुरी प्रदान किया है।
 इन अधिकारों के दावे हेतु राम सभा की वन अधिकार समिति को सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव समिति के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के पन्नाचों के साथ परन्तु दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत वन के उपरान्त वन अधिकार समिति, राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार नहीं पाया गया।

क्रम सं. *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का क्षेत्र

पतिविवी संलग्न है

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हुए इसे राम सभा में अनुमोदन करने का अनुरोध करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार नहीं नहीं पाया गया।

क्रम सं. *पात्र गांव वासी का नाम

- 1
- 2

तदनुसार तथा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

यदि राम सभा की वन अधिकार समिति में पात्रों सुचना के अनुसार
 वन अधिकारों का दावा प्राप्त नहीं हुआ
 नाम *
 दिनांक 11-1-19
 नाम *
 वन अधिकार समिति
 ग्राम, जंगल, जंगल
 वन अधिकार विभाग
 पतिविवी संलग्न

11-19 ग्राम
 नाम *
 नाम *
 नाम *
 नाम *
 नाम *
 नाम *

Additional District Magistrate
 Shimla, Dist. Shimla-171004

जनजाति और अन्य परम्परागत जनजातों (जन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

के अधिनियम संख्या 21
संघ संख्या
की संख्या 100

पन्ना संख्या

दिनांक 12/12/19

जन अधिकार समिति ग्राम संख्या 3000 3000
ग्राम 3000 में जो धीमती
का कृपया ध्यान दें कि 2019 का 100-1000 का
की संख्या 100 में जो यह संख्या 3000

आप की जनजाति जनजाति और अन्य परम्परागत जनजातों (जन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
अनुच्छेद 19-19 के अंतर्गत ग्राम में निम्नलिखित (निम्नलिखित) विभाग द्वारा संस्थापित किया जा रहा है
की निर्माण के लिए 0. 100 300 एकड़ पर नामों के उपयोग का सत्रा फल प्राप्त

जन अधिकारों के अंतर्गत ग्राम संख्या की जन अधिकार समिति की स्थापना के उपरान्त प्राप्त हुए ग्राम समितियों के सदस्यों
को चयन का यह जन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रत्यक्ष मतदानों के अधीन होगा जो पर विचार चयन के उपरान्त इस
जन अधिकार समिति ग्राम संख्या द्वारा निर्माणाधीन प्रांगणों का नाम नियमानुसार सही पाया गया

क्र.सं.	ग्राम गांव वारी का नाम	ग्राम का नाम	जन अधिकार का प्रकार
1	प्राथमिकी इलाका		
2			

अतः यह जन अधिकार समिति का अर्थ है इन लोगों को प्रतिष्ठित करने का इसे ग्राम संख्या के अनुसूचित वर्गों की स्थापना
करनी है।

उपरोक्त में जो निम्नलिखित प्रांगणों का नाम नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं. ग्राम गांव वारी का नाम

1
2
उपरोक्त संख्या इस अर्थ है इन लोगों को निर्मित करती है।

यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस

100 3000

ग्राम संख्या

यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस
यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस
यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस
यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस
यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस

अतिरिक्त
जन अधिकार समिति
ग्राम संख्या 3000
100 3000
यदि नाम (का) की जन अधिकार समिति में पाया गया है तबस

Additional District Magistrate
Shimla, Dist. Shimla-171001

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन नि

Annexure-II

अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

ग्राम सभा
प्रतिनिधी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 5

ग्राम सभा

बजे स्थान

में श्री/श्रीमती

जिसमें U-19 - Jaishi

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन नियामा (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत,

जंगल वन क्षेत्र में जिसमें

क निर्माण के लिए 01-46-36

विभाग द्वारा

हेक्टर इन भूमि के उपयोग

की सजरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के दावे इन ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा इन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त हम ग्राम सभा द्वारा नमूनेलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया

क्र.सं. 'पात्र गांव वासी' का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्याप

1. पं. जयदेवी शर्मा

नदानुसार यह ग्राम सभा इन दावों / इन दावों को पारित करने हुए इन दावों पर की समिति को पारित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं. 'पात्र गांव वासी' का नाम

नदानुसार ग्राम सभा इन दावों / इन दावों को निरस्त करती है।

इन ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-19 जांशी जंगल वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारों का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

सदस्य

सचिव

अधिकृत पर्यवेक्षक
ग्राम सभा

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-17100

गाम सभा गुआक पन्नाभत व करघाजी
पञ्चायत शिमला जिला शिमला

पतिविपी परस्ताव

दिनांक 13-2-2019

गणपूर्ति 138/590

परस्ताव संख्या 11

विषय जोड़ निर्माण विभाग/सम्बन्ध को प्रस्तावित सड़क क्षेत्र से है जो
के निर्माण हेतु U-19 जैसी जंगल/वन क्षेत्र में परस्तावित
हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

गाम सभा गुआक पन्नाभत व करघाजी की बैठक आज दिनांक 13-2-2019 को 3:25 PM
वजे स्थान करघाजी की गई जिसमें P.W.D. विभाग/सम्बन्ध को प्रस्तावित सड़क क्षेत्र से है जो
के निर्माण हेतु U-19 जैसी जंगल/वन क्षेत्र में परस्तावित 01-46-36 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबन्धित वन भूमि के परस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह
निर्णय लिया कि यह गाम सभा उपरोक्त परस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।
गाम सभा की इन बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गाम सभा को इस बैठक में
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों
को दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर दी है तथा परस्तावित 01-46-36 हेक्टेयर
वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए गाम सभा गुआक पन्नाभत व करघाजी की सहमति से जारी है।

सचीव गुआक पन्नाभत

प्रधान विभाग
वन अधिकार समिति
ए. आर. आर. आर.
सम. गुआक पन्नाभत
शिमला प्रदेस

Handwritten signature
Additional District Magistrate
Shimla

Additional District Magistrate
Shimla, Dist. Shimla-17100.

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा गोव
प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 11-1-2019

4
वन अधिकार समिति ग्राम सभा गोव की बैठक आज दिनांक 11-1-2019 को 11:30 AM बजे
में श्री/श्रीमती विमलिका लंगर की अध्यक्षता में की गई जिसमें 9/10

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
अनुच्छेद 15 (1) के तहत जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें PWD विभाग द्वारा उत्तरित सड़क के लिए

2
के निर्माण के लिए 50-52-24 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिशों के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों
पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इन

वन अधिकार समिति ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं.	पात्र गांववासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
2	<u>विमलिका लंगर</u>		

वदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हुए इसे ग्राम सभा से अनुमोदन करने की सिफारिश
करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।


क्र.सं.	पात्र गांववासी का नाम
---------	-----------------------

2
वदनुसार सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से दावा सूचना के अनुसार D-15 Drawl जंगल वन
क्षेत्र में लगे हुए वन अधिकारों का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

सचिव Lamex
ग्राम सभा अध्यक्ष
दिनांक 11-1-2019

विमलिका लंगर
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति



समस्त अनुसूचित जाति के नाम जिनके इस वन क्षेत्र में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है
उन्होंने वन अधिकारों के दावे के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में वन अधिकारों के दावे की अनुमति नहीं मिली है।

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001



कार्यालय ग्राम पंचायत.....⁽¹⁸⁾ करमाली.....

विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि. प्र.)

आज दिनांक..... 17-1-2017..... को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत..... करमाली..... की

ग्राम सभा/विशेष बैठक प्रधान/उप प्रधान श्री/श्रीमती..... सुनीला गांधी..... जी की

अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति..... 326/643..... रही तथा निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव नं. 21..... प्रतिलिपि दिनांक..... 10-6-2019.....

प्रतिलिपि

निर्माण सड़क झील से जैश्री-भराडा को NOC जारी करने बारे:

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ग्राम सभा बैठक में अध्यक्ष महोदयों द्वारा प्रस्ताव-चर्चा के लिए रखा गया कि सड़क झील से जैश्री-भराडा का निर्माण लोकनिर्माण विभाग द्वारा किया जाना है उक्त सड़क निर्माण में कुछ एक भूमि बन विभाग की जगहों जिल संदर्भ हेतु NOC आवश्यक है।

चर्चा उपरान्त ग्राम सभा ने सर्व-सम्मति से निर्णय लिया कि उक्त सड़क निर्माण से ग्राम सभा को कोई खतरा नहीं है।

अतः ग्राम सभा ने सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित कर NOC जारी किया

प्रमाणित पत्र



प्रधान
ग्राम पंचायत करमाली
विकास खण्ड बसन्तपुर, शिमला, हि.प्र.